

## कार्य प्रारम्भ न करने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावक विभाग राप्ती नहर निर्माण खण्ड-2 तुलसीपुर, बलरामपुर द्वारा सरयू नहर परियोजना के अंतर्गत कैम्पियरगंज शाखा के किमी 0 51.00 से 62.106 के मध्य में नहर निर्माण कार्य जनपद- महाराजगंज (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित आरक्षित वन भूमि पर नहर निर्माण का कार्य नहीं किया गया है। अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त ही नहर निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(संतोष कुमार)

अधिसासी अभियन्ता  
राप्ती नहर निर्माण खण्ड-2  
तुलसीपुर, बलरामपुर

Executive Engineer,  
Rapti Nahar Nirmaan,  
Khand-2, Tulsiipur,  
Balrampur